Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 94: Order sanctioning interest on delayed refunds

Where any interest is due and payable to the applicant under section 56, the proper officer shall make an order along with a ¹[payment order] in **FORM GST RFD-05**, specifying therein the amount of refund which is delayed, the period of delay for which interest is payable and the amount of interest payable, and such amount of interest shall be electronically credited to any of the bank accounts of the applicant mentioned in his registration particulars and as specified in the application for refund.

¹ Substituted for "payment advice" by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019. It is made effective from 24-09-2019 by Noti. No. 42/2019–Central Tax, dt. 24-09-2019.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 94 : विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज मंजूरी आदेश

जहां धारा 56 के अधीन आवेदक को कोई ब्याज शोध्य हे और संदेय योग्य है तो समुचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी आरएफडी—05 में ¹[संदाय आदेश] के साथ एक आदेश जिसमें प्रतिदाय की रकम जो विलंबित है, विलंब की अविध जिसके लिए ब्याज संदेय है और संदेय ब्याज की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा तथा ब्याज की ऐसी रकम रिजस्ट्रीकरण विशिष्टियों में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट बैंक के खातों में से किसी इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्यय किया जाएगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 31/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा शब्द "संदाय सूचना" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।